कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बागपत।

केन्द्रीय नजारत अनुभाग
दिनांक 22.02.2018

निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 22.02.2018 के अनुसार जनपद न्यायालय बागपत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालकों हेतु निर्धारित पोषाक(ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन) एवं अभिलेखागार हेतु बस्ते का कपड़ा कय किये जाने हेतु निविदा आंमत्रित किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त सामग्री कय किये जाने हेतु सम्बन्धिम पंजीकृत फर्म/कम्पनी/दुकानदार से शील्ड बन्द निविदायें दिनांकित 15.3.2018 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं सम्बन्धित शर्ते दिनांक 23.02.2018 से दिनांक 15.03.2018 की 12:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:30 बजे से 4:30 बजे के मध्य प्राप्त की जा सकेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 17.03.2018 की अपराह्न 4:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में गठित कयसमिति की देखरेख में निविदाओं की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उक्त तिथि को निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/कम्पनी/दुकानदार आदि स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/कम्पनी/दुकानदार के अनुपस्थित में भी निविदा की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। निविदा का आवेदन फार्म एवं नियम व शर्ते केन्द्रीय नजारत अनुभाग से एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जिला न्यायालय बागपत की वैबसाईड से डाउनलोड कर भी प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित निविदाये स्वीकार्य नहीं होगी।

उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयार वर्दी एवं बस्ते का कपड़ा की निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत अथवा www.allahabadhighcourt.in माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं www.ecourt.gov.in/baghpat जनपद न्यायालय बागपत की वैबसाईड से डाउनलोड करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

Chaudhri 22/2/18

(रमेश चन्द)
अध्यक्ष कयसमिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
बागपत।

पत्रांकः 491/ख **दिनांक** 23/2/18

प्रतिलिपिः– <u>**निविदा के उचित प्रचार–प्रसार हेतु**</u>

1. माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
2. सूचना अधिकारी बागपत को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर, को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय बागपत की वैबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. केन्द्रीय नाजिर को सार्वजनिक स्थल/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

22.2.18

(रमेश चन्द)
अध्यक्ष कयसमिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
बागपत।

अवलोकित।
अनुमोदित।

22/2/18
District Judge
Baghpat

Tender for Stitching Charges of Summer / Winter Liveries & Bag Cloth

Name of Tender / Firm	:	....
Name of Proprietor / Partner	:	....
Address	:	....
Phone Nos.	:	....
GST No.	:	....
		(Please enclose photocopy)
Details of Earnest Money	:	....
Draft No.	:	....
Date	:	....
Rupees	:	....
Name of Bank	:	....
Name of Authorized person	:	....
phone number (if any)	:	....

जनपद न्यायालय बागपत में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पोशाक एवं अभिलेखागार हेतु बस्ते का कपडा

क्रम सं0	मांग का विवरण	मात्रा	कीमत प्रति पीस (सभी कर मय सिलाई सहित) रू0 में	
			कपडे की दर	सिलाई की दर
1.	पैंट टैरीकोट (शूटिंग कपडे में)	80	रू0	रू0
2.	बुशर्ट फुल स्लीव टैरीकोट (शूटिंग कपडे में)	160	रू0	रू0
3.	साफा सूती (18 मी0 कपडे में)	02	रू0	रू0
4.	साडी टैरीकोट	04	रू0	रू0
5.	ब्लाउज टैरीकोट	04	रू0	रू0
6.	पैटीकोट (सूती कपडे में)	04	रू0	रू0
7.	ऊनी कोट	42	रू0	रू0
8.	ऊनी पैंट	40	रू0	रू0
9.	ऊनी कम्बल	42	रू0	रू0
10.	जूते की जोडी	03	रू0	रू0
11.	मौजा की जोडी	03	रू0	रू0
12.	छाता	03	रू0	रू0
बस्ते का कपडा 1.25 मी.×1.25 मी. तैयार चारों तरफ से बार्डर सिला हुआ				
13.	बस्ते का खादी कपडा (लाल रंग)	300	रू0	
14.	बस्ते का खादी कपडा (हरा रंग)	300	रू0	
15.	बस्ते का खादी कपडा (बैंगनी रंग)	200	रू0	

Date:-

Signature of Tenderer/Authorized Signatory

Seal

Approved.
District Judge
Baghpat

जनपद न्यायालय, बागपत में ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन वर्दी की सिलाई हेतु नियम एवं शर्तें

1. मुहरबंद निविदा ही स्वीकार्य होंगी, खुली निविदा स्वीकार नहीं होगी।
2. आधी–अधूरी निविदा स्वीकार नही होगी।
3. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रुप में रु0 5,000/– का एक बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद जनपद न्यायाधीश, बागपत के पक्ष में जमा करना होगा। असफल निविदादाता की अर्नेस्ट मनी "भण्डार क्रय–नियम संग्रह लेखांकन एवं प्रक्रिया" के भाग 4 पृष्ठ संख्या 13 क्रम संख्या 11 मे बताए गई प्रक्रिया के अनुसार स्टाम्पित रसीद प्राप्त करके वापस कर दी जाएगी।
4. निविदा स्वीकार होने पर रू0 10,000/– की अतिरिक्त जमानत राशि नकद अथवा एक वर्ष के लिए राष्ट्रीकृत बैंक की फिक्स डिपोजिट रसीद जो जनपद न्यायाधीश, बागपत के पक्ष में हो, जमा करनी होगी।
5. कपड़ों के सिलाई मे प्रयोग किए जाने वाला धागा, बटन आदि सामान मानक स्तर का ही होना चाहिए तथा प्रभारी अधिकारी नजारत, बागपत के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा के अनुमोदन के पश्चात सफल निविदाकर्ता का ये दायित्व होगा की वह सिलाई हेतु कपड़ा अविलम्ब नजारत अनुभाग से प्राप्त करेगा तथा दिनांक 15.03.2018 तक सिले वस्त्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
7. सिलाई मानक स्तर की न पाए जाने पर सम्बन्धित फर्म की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उचित प्रतिपूर्ति वसूल कर ली जाएगी। इस सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, बागपत का निर्णय अंतिम होगा।
8. सिलाई वाली वर्दी की मात्रा घट–बढ़ सकती है।
9. सिलाई की दरें सभी कर सहित देनी आवश्यक है।
10. निविदादाता स्वयं अथवा लिखित में अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से सिलाई हेतु कपडा आदि प्राप्त करके तैयार वर्दी को अपने साधन द्वारा जनपद न्यायालय, बागपत के केन्द्रीय नजारत अनुभाग तक पहुँचायेगा। इस हेतु कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व निविदादाता वर्दियों के नमूने का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 से अपराहन 2:00 के मध्य जनपद न्यायालय, बागपत के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में आकर कर सकता है।
12. सिलाई की दरें सभी कार्य सहित देनी आवश्यक है तथा सिलाई का सभी कार्य नमूने के अनुसार करना होगा।
13. बस्ते का कपडा उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है।
14. जनपद न्यायाधीश, बागपत को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार किये जाने का अधिकार सुरक्षित है।
15. जनपद न्यायाधीश, बागपत का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

17/2/18

रमेश चंद्र–पंचम
अध्यक्ष उपसमिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(विशेष)
एस.सी./एस.टी. एक्ट,बागपत

Approved.
22/2
District Judge
Baghpat